हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

अध्याय–1

प्रारम्भिक

धाराएः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय–2

आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्ट्रीकरण और उनके संचलन का निर्बन्धन

3. आभ्यासिक अपराधियों के रजिस्ट्रीकरण का निदेश देने की सरकार की शक्ति।
4. आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रक्रिया।
5. रजिस्टर का प्रभार और उसमें परिवर्तन।
6. किसी भी समय अंगुली और हथेली के चिन्ह, पद छाप तथा फोटो लेने की शक्तियां।
7. रजिस्ट्रीकृत अपराधियों द्वारा निवास का परिवर्तन अधिसूचित करना और अपनी रिपोर्ट करना।
8. अन्य जिले में आभ्यासिक अपराधी द्वारा निवास के परिवर्तन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया।
9. आभ्यासिक अपराधियों के रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीकरण की कालावधि।
10. पुनः रजिस्ट्रीकरण आदि के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार।
11. रजिस्ट्रीकृत अपराधियों का संचलन निर्बन्धित करने की शक्ति।
12. संचलन के निर्बन्धनों को रद्द करने या परिवर्तित करने की शक्ति ।
13. धारा 11 और धारा 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कुछ मजिस्ट्रेटों द्वारा भी किया जाएगा।

अध्याय–3

अभ्यासिक अपराधियों का सुधारक प्रशिक्षण

14. सुधार उपनिवेश की स्थापना।
15. आभ्यासिक अपराधियों द्वारा सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निदेश देने की शक्ति।
16. सुधार उपनिवेश से अन्तरित या उन्मोचित करने की शक्ति।

अध्याय–4

शास्तियां और प्रक्रिया

17. अधिनियम के कुछ उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति।
18. निर्बन्धन क्षेत्र या सुधार उपनिवेश से बाहर पाए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
19. पहले दोषसिद्ध कुछ व्यक्तियों के लिए वर्धित दण्ड।
20. संदेहजनक परिस्थितियों के अधीन पाए गए कुछ रजिस्ट्रीकृत अपराधियों के लिए दण्ड।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

21. अधिकारिता का वर्जन।
22. विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।
23. प्रत्यायोजन की शक्ति।
24. नियम बनाने की शक्ति।
25. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तत्स्थानी उपबन्ध।
26. निरसन और व्यावृत्तियां।

अनुसूची ।

हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969

(1970 का अधिनियम संख्यांक 8)[1]

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 01 जूलाई, 1998 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 04 जूलाई, 1998 को पृष्ठ संख्या 2429 से 2440 पर प्रकाशित किया गया।)

आभ्यासिक अपराधियों के उपचार और प्रशिक्षण और कुछ अन्य विषयों के लिए अच्छे उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षित नाम हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–
(क) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) अभिप्रेत है;
(ख) "सुधार उपनिवेश" से धारा 14 के अधीन सुधार उपनिवेश के रूप में स्थापित, अनुमोदित या प्रमाणित कोई स्थान अभिप्रेत है;

———————————

1. **पाद टिप्पणीः**– चूंकि अधिनियम राजभाषा में 01 जूलाई, 1998 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 04 जूलाई, 1998 को पृष्ठ संख्या 2429 से 2440 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय, अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर दिए गए थे।

(ग) "जिला मजिस्ट्रेट" से संहिता की धारा 10 के अधीन नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(घ) "आभ्यासिक अपराधी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर,–

(i) लगातार पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान (चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् या ऐसे प्रारम्भ से भागतः पूर्व और भागतः पश्चात) तीन से अन्यन पृथक अवसरों पर किए गए अनुसूचित अपराधों के एक या अधिक के लिए, जो इस प्रकार आपस में सम्बन्धित नहीं हैं जिससे वे उसी संव्यवहार का भाग हों, दोषसिद्धि पर कारावास की पर्याप्त अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो; और

(ii) ऐसा दण्डादेश अपील या पुनरीक्षण में बदला नहीं गया होः

परन्तु उपर्युक्त पांच वर्ष की लगातार अवधि संगणित करने में, जेल में कारावास के दण्डादेश के अधीन या निरोध के अधीन, व्यतीत की गई कोई अवधि, गिनती में नहीं ली जाएगी;

(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन, राजपत में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत अपराधी" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या पुनःरजिस्ट्रीकृत आभ्यासिक अपराधी प्रभिप्रेत है;

(ञ) "अनुसूचित अपराध" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध या उसके सदृश अपराध अभिप्रेत है;

(ट) "पुलिस अधीक्षक" से पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा, पुलिस अधीक्षक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके हैं।

अध्याय–2

आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्ट्रीकरण और उनके संचलन का निर्बन्धन

3. **आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्ट्रीकरण का निदेश देने की सरकार की शक्ति.**– सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को अपने जिले के भीतर आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्टर जिसमें उनके नाम और अन्य विहित विशिष्टियां दर्ज की जाएंगी, एक रजिस्टर तैयार करने के या तैयार करवाने का निदेश दे सकेगी।

4. **आभ्यासिक अपराधियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रक्रीया.**– धारा 3 के अधीन दिए गए निदेश को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, विहित रीति में तामील किए जाने वाले विहित प्ररूप में नोटिस द्वारा, जिले में प्रत्येक अभ्यासिक अपराधी से निम्नलिखित की अपेक्षा करेगा।

(क) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए;

(ख) ऐसी सूचना, जो उसे रजिस्टर में आभ्यासिक अपराधी का नाम और अन्य विहित विशिष्टियां दर्ज करने में समर्थ बना देने; और

(ग) आभ्यासिक अपराधी की अंगुली और हथेली के चिन्ह, पद छाप और फोटो लेने के लिए अनुज्ञा देने के लिएः

परन्तु प्राभ्यासिक अपराधी का नाम और अन्य विहित विशिष्टियां तब तक रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएंगी जब तक उसे हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि ऐसी प्रविष्टि क्यों नहीं की जाए।

5. **रजिस्टर के प्रभार और उसमें परिवर्तन.**—(1) रजिस्टर, जिला पुलिस अधीक्षक की देख–रेख में रखा जाएगा, जो समय–समय पर, उसकी राय में उसमें किए जाने वाले परिवर्तनों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को करेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक की देख–रेख में रजिस्टर रखे जाने के पश्चात्, जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश द्वारा या के अधीन के सिवाए, रजिस्टर में कोई नई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, न ही कोई प्रविष्टि रद्द की जाएगी।

6. **किसी भी समय अंगुली और हथेली के चिन्ह, पद छाप तथा फोटो लेने की शक्तियां.**—जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, किसी भी समय, किसी रजिस्ट्रीकृत अपराधी के अंगुली और हथेली के चिन्ह, पद छाप और फोटो लेने का आदेश दे सकेगा।

7. **रजिस्ट्रीकृत अपराधियों द्वारा निवास का परिवर्तन अधिसूचित करना और अपनी रिपोर्ट करना.**—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अपराधी, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, अपने स्थान, जहां वह मामूली तौर से निवास करता है, में किसी परिवर्तन या आशयित परिवर्तन की सूचना देगाः

परन्तु जहां ऐसा अपराधी अपने स्थान, जहां वह मामूली तौर से निवास करता है, को दूसरे जिले में (चाहे हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर हो या नहीं) परिवर्तन करता है या परिवर्तित करने का आशय रखता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे परिवर्तन या आशयित परिवर्तन की सूचना देगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत अपराधी,––

(क) ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हर एक मास में एकबार, या जहां जिला मजिस्ट्रेट आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों के लिए ऐसा निवेश देता है, अधिक वार अपने आने की रिपोर्ट करेगा; और

(ख) उपर्युक्त प्राधिकारी को अपने मामूली तौर से निवास के स्थान से कोई अनुपस्थिति या आशयित अनुपस्थिति सूचित करेगाः

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराधी को, उसके मामूली तौर से निवास के स्थान से, ऐसी अवधि के लिए, और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हों, किसी अनुपस्थिति या आशयित अनुपस्थिति की सूचना देने से छूट दे सकेगा।

8. **अन्य जिले में अभ्यासिक अपराधी द्वारा निवास के परिवर्तन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया.**— (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत अपराधी हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर दूसरे जिले में अपने मामूली तौर से निवास स्थान परिवर्तित करता है, वहां उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें अपराधी रजिस्ट्रीकृत है, दूसरे जिले के जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा, और उसी समय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत अपराधी के सम्बन्ध में नाम और अन्य विशिष्ठियां भी देगा।

(2) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, दूसरे जिले का जिला मजिस्ट्रेट अपने रजिस्टर में उसे दिए गए, रजिस्ट्रीकृत अपराधी का नाम और अन्य विशिष्टियां दर्ज करेगा, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बारे में पहले जिले के जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, और तंदुपरि ऐसा जिला मजिस्ट्रेट उस अपराधी से सम्बन्धित प्रविष्टि को अपने रजिस्टर से रद्द कर देगाः

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत अपराधी हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर दूसरे जिले में अपने मामूली तौर से निवास का स्थान परिवर्तित करते हैं, वहां पहले जिले का जिला मजिस्ट्रेट अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रीकृत अपराधी का नाम और अन्य विशिष्टियां देते हुए उस जिले के मजिस्ट्रेट से अनुरोध करेगा कि उसे वह उपाय, यदि कोई हो, सूचित किए जाएं, जो उस दूसरे जिले में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराधों के संबन्ध में किए गए हैं। और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर पहले जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उस अपराधी संबन्धी प्रविष्टि को रजिस्टर से रद्द कर देगा ।

(3) उप–धारा (2) के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य में, किसी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत अपराधी का नाम और अन्य विशिष्टियों की प्रविष्टि करने पर, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध उसे लागू होंगे मानो वह धारा 3 के अधीन दिए गए निदेश के अनुसरण में, उस जिले के रजिस्टर में जिसमें उसने मामूली तौर से अपना निवास स्थान परिवर्तित किया है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

9. **आभ्यासिक अपराधियों के रजिस्ट्रीकरण और पुनःरजिस्ट्रीकरण की कालावधि.**— (1) उप–धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अभ्यासिक अपराधियों का रजिस्ट्रीकरण, जब तक कि पहले ही रद्द न किया गया हो, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के अवतान पर प्रभाव शून्य हो जाएगा, और ऐसे रद्दकरण या अवसान पर आभ्यासिक अपराधी रजिस्ट्रीकृत अपराधी नहीं रहेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या कालावधि के अवसान के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, किसी आभ्यासिक अपराधी को, ऐसे रद्दकरण या अवसान के पश्चात् किसी भी समय, जितनी भी बार वह एक या अधिक अनुसूचित अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, पुनः रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा; और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पुनः रजिस्ट्रीकरण, जब तक कि पहले ही रद्द न कर दिया गया हो, ऐसे पुनः रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के अवसान पर प्रभाव शून्य हो जाएगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत अपराधी, रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान एक या अधिक अनुसूचित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास की सारभूत अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया जाता है वहां रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण को कालावधि, ऐसे कारावास से उसे छोड़े जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी ।

10. **पुनः रजिस्ट्रीकरण आदि के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार.**— (1) यथास्थिति, धारा 4 या धारा 9 के अधीन अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण द्वारा, या धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित अवधि के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण, पुनः रजिस्ट्रीकरण या आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अभ्यावेदन कर सकेगा।

(2) आयुक्त, अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरान्त, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण, पुनः रजिस्ट्रीकरण या आदेश की पुष्टि करेगा या रद्द कर देगा और पुष्टिकरण की दशा में उसके कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

11. **रजिस्ट्रीकृत अपराधियों का संचलन निर्बन्धित करने की शक्ति.**—(1) यदि सरकार की राय में ऐसा करना जनसाधारण के हित में आवश्यक या समीचीन है, तो सरकार, उप–धारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी रजिस्ट्रीष्कृत अपराधों का, ऐसे क्षेत्र में और तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, संचलन निर्बन्धित होगा।

(2) ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व सरकार, निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:—

(क) अपराधों की प्रकृति जिनके लिए रजिस्ट्रीकृत अपराधों को दोषसिद्ध ठहराया गया है और वे परिस्थितियां जिनमें अपराध किए गए थे;

(ख) क्या रजिस्ट्रीकृत अपराधी कोई विधिपूर्ण व्यवसाय करता है और क्या ऐसा व्यवसाय जीवन की ईमानदार और स्थापित पद्धति का साधक है तथा केबल अपराध का किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए एक बहाना नहीं है;

(ग) क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसके संचलन को निर्बन्धित किया जाना है; और

(घ) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रीकृत अपराधी निर्बन्धित क्षेत्र के भीतर अपनी आजीविका उपार्जित कर सकेगा और उसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है या होने की संभावना है;

(3) आदेश की एक प्रति विहित रीति में रजिस्ट्रीकृत अपराधी को तामील की जाएगी।

(4) उप–धारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि किसी भी दशा में, धारा 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण की अवधि से अधिक नहीं होगी।

12. **संचलन के निर्बन्धनों को रद्द करने या परिवर्तित करने की शक्ति.**— सरकार आदेश द्वारा, धारा 11 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद्द कर सकेगी या उस धारा के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र का परिवर्तन कर सकेंगी :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व, सरकार धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों को, जहां तक वह लागू हो सके, ध्यान में रखेगी।

13. **धारा 11 और द्वारा 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कुछ मजिस्ट्रेटों द्वारा भी किया जाएगा.**– (1) उप–धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 11 और धारा 12 के अधीन सरकार की शक्तियां, संहिता की धारा 110 के अधीन, किन्तु संहिता की उस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य करने की शक्ति रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

(2) धारा 11 या धारा 12 के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट, सदाचार के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाले आदेश के लिए संहिता की धारा 112, 113, 114, 115 और 117 में अधिकथित प्रक्रिया का यथाशक्य निकटतम अनुसरण करेगाः

परन्तु संहिता की धारा 112 में निर्दिष्ट लिखित आदेश, प्राप्त सूचना के सार को उपवर्णित करने के अतिरिक्त, तीन वर्ष से अनधिक अवधि का कथन करेगा जिसके दौरान निर्बन्धन का आदेश प्रवृत्त रहेगा।

(3) जहां धारा 11 के अधीन सरकार ने आभ्यासिक अपराधी के बारे में पहले ही आदेश दिया है, वहां मजिस्ट्रेट उसी आभ्यासिक अपराधी के बारे में, उस अवधि के दौरान जिसमें सरकार का आदेश प्रवृत्त है, इस धारा द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

अध्याय–3

आभ्यासिक अपराधियों का सुधारक प्रशिक्षण

14. **सुधार उप–निवेश की स्थापना.**– (1) ऐसे आभ्यासिक अपराधियों को, उसमें रखने के प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निदेशित किए गए हैं, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में, उतने सुधार उपनिवेश, जितने वह उचित समझे, स्थापित और बनाए रख सकेगी।

(2) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी प्राइवेट रूप में प्रबन्धित संस्था (चाहे उपनिवेश के रूप में ज्ञात है या अन्यथा) को भी सुधार उपनिवेश के रूप में अनुमोदित या प्रमाणित कर सकेगी।

15. **आभ्यासिक अपराधियों द्वारा सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश देने की शक्ति.**–(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से या अन्यथा सरकार का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत अपराधी के सुधार और अपराध के निवारण की दृष्टि से यह समीचीन है कि पर्याप्त अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत अपराधी को सुधारक स्वरूप को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, वहां सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि रजिस्ट्रीकृत अपराधी उसके रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण की कालावधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सुधारक स्वरूप का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(2) जहां कोई आभ्यासिक अपराधी, जो चालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं है,–

(क) कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध है; या

(ख) संहिता की धारा 110 के अनुसरण में, उससे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करना अपेक्षित है, और न्यायालय, या मजिस्ट्रेट का मामले में साक्ष्य और अभिलेख में अन्य सामग्री से समाधान हो जाता है कि उस सुधार और अपराध के निवारण की दृष्टि से यह समीचीन है कि वह पर्याप्त अवधि के लिए सुधारक स्वरूप का प्रशिक्षण प्राप्त करे तो, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ऐसे अपराध के लिए उसे दण्डादेश देने या उसे ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करने के बदले में निदेश दे सकेगा कि वह दो वर्ष से कम या पांच वर्ष से अधिक नहीं ऐसी अवधि के लिए सुधार प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अवधारित करे।

(3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व, यथास्थिति, सरकार, न्यायालय या मजिस्ट्रेट, –

(क) आभ्यासिक अपराधी को लेने बाले सुधार उपनिवेश की क्षमता पर विहित प्राधिकारी से परामर्श करेगा;

(ख) अपराधी की शारीरिक और मानसिक दशा, और सुधारक उपनिवेश में सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करने की उपयुक्तता को ध्यान में रखेगा; और

(ग) अपराधी को हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसा निदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(4) आभ्यासिक अपराधी, जिसके बारे में सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है, अपनी प्रशिक्षण की अवधि के लिए सुधार उपनिवेश में रखा जाएगा, और ऐसे उपनिवेश में होते हुए, ऐसी रीति में व्यवहार किया जाएगा और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा विहित किया जाए।

16. **सुधार उपनिवेश से अन्तरित या उन्मोचित करने की शक्ति.**–सरकार, या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी समय लिखित आदेश द्वारा किसी आभ्यामिक अपराधी को, जो सुधार उपनिवेश में हो, वहां से अन्य सुधार उपनिवेश में अन्तरित किए जाने या उसने उन्मोचित किए जाने का निदेश दे सकेगा, और तदनुसार उसे इस प्रकार, यथास्थिति, अन्तरित या उन्मोचित किया जाएगा।

अध्याय–4

शास्तियां और प्रक्रिया

17. **अधिनियम के कुछ उपबन्धों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति.**–कोई आभ्यासिक अपराधी जो, विधिपूर्ण कारण के बिना, निम्नलिखित बात करता है, जिन्हें साबित करने का भार उस पर होगा,–

(क) धारा 4 के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन में हाजिर होने में असफल रहता है; या

(ख) उस धारा के अधीन अपेक्षित कोई सूचना जानबूझकर नहीं देता है या कोई सूचना सत्य कह कर देता है, जो उसके अनुसार या जिसके बारे में बह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, और सत्य होने का विश्वास नहीं करता है; या

(ग) धारा 6 के अधीन पारित आदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी अंगुली और हथेली के चिन्ह, पद छाप और फोटो लेने से इन्कार करता है; या

(घ) धारा 7 की उप–धारा (1) के उपबन्धों, या उसकी उप–धारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश या धारा 11 के अधीन आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है;

वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा; और,–

(i) प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और

(ii) दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगाः

परन्तु यदि न्यायालय का, अपराधी की आयु और शारीरिक तथा मानसिक दशा और सुधार उपनिवेश में सुधारक स्वरूप का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखने के पश्चात, समाधान हो जाता है कि उसके सुधार और अपराध के निवारण की दृष्टि से यह समीचीन है कि उसे पर्याप्त अवधि के लिए सुधारक स्वरूप का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तो न्यायालय इस धारा के अधीन, अपराधी को किसी दण्ड से दण्डित करने के बदले में, उसे हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् (उसे लेने वाले सुधार उपनिवेश की क्षमता पर विहित अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्) निदेश दे सकेगा कि वह सुधार उपनिवेश में तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि जैसी वह अवधारित करे, के लिए सुधारक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

18. **निर्बन्धन क्षेत्र या सुधार उपनिवेश से बाहर पाए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी.**–यदि कोई व्यक्ति,–

(क) उन शर्तों, जिनके अधीन उसे ऐसा क्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा प्राप्त है, के उल्लंघन में, उस क्षेत्र, जिसमें उसका संचलन निर्बन्धित किया गया है, से बाहर पाया जाता है; या

(ख) किसी सुधार उपनिवेश जिसमें वह रखा गया है से निकल भागता है, तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा जो तथ्यों के सबूत पर, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाने के लिए उसे ऐसे क्षेत्र या ऐसे सुधार उपनिवेश को ले जाने का आदेश दे सकेगा ।

19. **पहले दोषसिद्ध कुछ व्यक्तियों के लिए बर्धित दण्ड.**–(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में धारा 11 या धारा 15 के अधीन आदेश दिया गया है और अनुसूची के भाग 1 के अधीन आने वाले अनुसूचित अपराधों में से किसी का दोषसिद्ध है, उसी या उस भाग में आने वाले किसी अन्य अनुसूचित अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, दोषसिद्धि पर, अजीवन कारावास से या कारावास से, जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के किसी अतिरिक्त या अन्य दण्ड के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी जिसके लिए वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।

20. **संदेहजनक परिस्थितियों के अधीन पाए गए कछ रजिस्ट्रिकृत अपराधियों के लिए दण्ड.**—जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए, जिसके बारे में धारा 11. या धारा 15 के अधीन निदेश दिया गया है, किसी स्थान में ऐसी परिस्थितियों के अधीन पाया जाता है, जिससे न्यायालय का समाधान हो जाता है कि,—

(क) वह चोरी या लूट या उसके किए जाने में सहायता करने वाला था, या

(ख) वह चोरी या लूट की तैयारी कर रहा था,

दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, भी दण्डनीय होगा।

अध्याय—5

प्रक्रीर्ण

21. **अधिकारिता का वर्जन.**—कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश या आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नगत नहीं करेगा।

22. **विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.**—कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना, आदेश या निदेश करने या जारी करने वाले किसी प्राधिकारी की सक्षमता को प्रश्नगत नहीं करेगा।

23. **प्रत्यायोजन की शक्ति.**— सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 24 के अधीन की शक्ति के सिवाए, इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के नीचे का न हो, द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

24. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन नोटिस का प्ररूप और वह रीति जिसमें ऐसे नोटिस की तामील की जा सकेगी;

(ख) आभ्यासिक अपराधियों के रजिस्टर का प्ररूप और उसमें दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां ;

(ग) स्थान, जहां कोई मामूली तौर से निवास करता है, में किसी परिवर्तन या आशयित परिवर्तन को धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारों जिसे और रीति जिसमें सूचित किया जाएगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत अपराधी जिसका संचलन निर्बन्धित किया गया है द्वारा अनुपालन किए जाने वाले निर्वन्धनों की प्रकृति;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत अपराधियों को पहचान—पत्र प्रदान करने और ऐसे प्रमाण—पत्रों के निरीक्षण;

(च) शर्तें, जिनके अधीन अपराधियों को क्षेत्र जहां उनके संचलन निर्बन्धित किए गए हैं या सुधार उपनिवेश जिसमें उनको रखा गया है, छोड़ने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(छ) निबन्धन, जिन पर सुधार उपनिवेशों से अपराधियों को उन्मोचित किया जा सकेगा;

(ज) सुधार उपनिवेशों में रखे गए व्यक्तियों के अनुशासन और आचरण सहित, उनका कार्यकरण, प्रबन्ध, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण;

(झ) प्राइवेट रूप में प्रबन्धित उपनिवेशों को अनुमोदित या प्रमाणित करने की शर्तें और रीति;

(ञ) सुधार उपनिवेशों के लिए गैर–सरकारी परिदर्शकों की नियुक्ति;

(ट) शर्तें और परिस्थितियां जिनके अधीन आभ्यासिक अपराधी के कुटुम्ब के सदस्यों को सुधार उपनिवेश में उसके साथ ठहरने की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ठ) सभी व्यक्तियों, जिनके संचलन इस अधिनियम के अधीन निर्बन्धित किए गए हैं या जिनको सुधार उपनिवेशों में रखा गया है, के मामलों का कालिक पुनर्विलोकन; और

(ड) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने में, सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि किन्हीं नियमों का उल्लंघन जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात, यथा–शीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के पुर्वोक्त सत्रों के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25. **तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तत्स्थानी उपबन्ध.**–इस अधिनियम की कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के निर्बन्धन या निरोध का आदेश करने की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश या किया गया निदेश, जहां तक वह ऐसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश का विरोध करता है, जब तक ऐसी विधि के अधीन आदेश प्रवृत रहता है, अप्रवर्तनीय समझा जाएगा।

26. **निरसन और व्यावृत्तियां.**– पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब हैबीचुअल औफेन्डर्स (कन्ट्रोल ऐन्ड रीफोर्मस) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों को यथा विस्तारित दि बाम्बे हैबीचुअल औफेन्डर्स ऐक्ट, 1959 (1959 का 61) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियमों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना या निदेश, की गई नियुक्ति या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 2 (ञ) देखिए]

भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

अध्याय—12

धाराएं:

231. सिक्के का कूटकरण।
232. भारतीय सिक्के का कूटकरण।
233. सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना।
234. भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना।
235. सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाने के प्रयोजन से उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना।
239. सिक्के, जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, का परिदान।
240. भारतीय सिक्के, जिसका कूटकृत होना कब्जे में जाने के समय ज्ञात था, का परिदान।
242. कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था।
243. भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था।

अध्याय—16

304. हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध।
307. हत्या करने का प्रयत्न।
308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।
311. ठग होना।
324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।
325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
327. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
328. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।
329. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
332. लोक सेवक को अपने कर्त्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
333. लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
347. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध।
365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
366 क. अप्राप्तवय लड़की का उपापन।
366 ख. विदेश से लड़की का आयात करना।
368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना।

369. दस वर्ष से कम आयु के शिशु को चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण ।

अध्याय–17

379. चोरी।
380. निवास–गृह आदि में चोरी।
382. चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी।
384. उद्दापन।
385. उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना।
386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन।
387. उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना।
392. लूट।
393. लूट करने का प्रयत्न।
394. लूट करने की स्वेच्छया उपहति कारित करना।
395. डकैती।
397. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।
398. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।
399. डकैती करने के लिए तैयारी करना।
400. डाकुओं की टोली का होना।
401. चोरों की टोली का होना।
402. डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।
411. चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना।
414. चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना।
451. कारावास ते दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह–अतिचार।
452. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार।
453. प्रच्छन गृह–अतिचार या गृह–भेदन।
454. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन।
455. उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन।
456. रात्रो प्रच्छन्न गृह–अतिचार या रात्रो गृह–भेदन।
457. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्ना गृह–अतिचार या रात्रो गृह–भेदन।
458. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह–भेदन।
459. प्रच्छन्न गृह–अतिचार या गृह–भेदन करते समय कारित घोर उपहति।
460. रात्रो प्रच्छन्न गृह–अतिचार या रात्रो गृह–भेदन में जहां उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो, संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं।

2
स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन अपराध। धारा 4– वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीवनयापन।
3
सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 3) की धारा 3 के अधीन अपराध।
4
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तद्धीन बनाए गए और जारी किए गए नियमों और आदेशों के अधीन कोई अपराध।